निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 559) पटना, शुक्रवार, 11 सितम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

11 सितम्बर 2020

एस. ओ. 164, दिनांक 11 सितम्बर 2020—बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 04, 2018) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ** ।– (1) यह नियमावली बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 2020 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ** :– इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो :–

(क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018;

(ख) **''निर्धारिती ''** से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन शुल्क भुगतान का दायी हो, और इसमें अधिनियम की धारा 12,13,14 एवं 15 में निर्दिष्ट ''व्यौहारी'' भी शामिल है;

(ग) **''निर्धारण अधिकारी''** में अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कोई अधिकारी सम्मिलित है ;

(घ) **''अंचल''** से अभिप्रेत है बिहार राज्य के तत्समय प्रवृत्त वाणिज्य कर कानून या माल और सेवा कर कानून के अधीन सृजित वाणिज्य कर प्रशासन की कोई इकाई ;

(ड.) **''शुल्क''** से अभिप्रेत है बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के अधीन भुगतेय विद्युत शुल्क; और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में या धारा 14 के परन्तुक में ''कर'' का कोई संदर्भ ''शुल्क'' का संदर्भ माना जाएगा;

(च) **'' प्रपत्र ''** से अभिप्रेत है इस नियमावली से उपाबद्ध कोई प्रपत्र ;

(छ) **''सरकारी कोषागार''**, किसी निर्धारिती के संबंध में, से अभिप्रेत है नियम 4 के अधीन उसको दिए गए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट कोषागार अथवा उप–कोषागार ;

(ज) **''निरीक्षी प्राधिकारी''** में अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कोई अधिकारी सम्मिलित है ;

(झ) **''मीटर''** से अभिप्रेत है उपभुक्त उर्जा की मात्रा मापने के लिए प्रयुक्त कोई उपकरण या यंत्र;

(ञ) **''धारा''** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम अथवा भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा उसके अधीन बनी नियमावली में उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों।

3. **रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन** :–

(1) अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ दिए गए तरीके से रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति ''व्यक्ति'' में वह व्यक्ति शामिल नहीं होगा, जो इन नियमों के प्रकाशन की तिथि को, बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के अध्याय II के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत था।

(2) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 4 के तहत दिए गए रजिस्ट्रीकरण का वैध प्रमाण–पत्र रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को रजिस्ट्रीकृत माना जाएगा।

(3)(क) धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति, उस व्यक्ति से भिन्न जिसपर उप–नियम (2) लागू होता है, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा और ऐसा प्रत्येक आवेदन वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना की आधिकारिक वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया जाएगा।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र–I में होगा और उस अंचल के प्रभारी अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में निर्धारिती के कारबार का स्थान अवस्थित हो, अधिनियम के अधीन शुल्क भुगतान हेतु उपगत होने वाले अपने दायित्व के तीस दिनों के भीतर अथवा राजपत्र में इस नियमावली के प्रकाशन की तिथि अथवा ऊर्जा उत्पादन या आपूर्ति के कारबार में लगने की तिथि अथवा ऐसे निर्धारिती द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने या उपभोग करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीस दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के निष्पादन के सम्बंध में बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के प्रावधान, उप–नियम (3) के तहत किए गए आवेदन के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें।

4. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र देना** :–

(1) जब अंचल के प्रभारी अधिकारी का समाधान, ऐसी जाँच करने के बाद जैसा कि वह आवश्यक समझे, हो जाय कि आवेदक ने सभी अपेक्षित जानकारी दे दी है और कि आवेदन व्यवस्थित रूप में है तो वह आवेदक को रजिस्ट्रीकृत कर लेगा और आवेदन की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर आवेदक को प्रपत्र–II में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जिसे वाणिज्य कर विभाग के विभागीय वेबसाइट पर आवेदक को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जहाँ, आवेदन प्राप्ति की तिथि से तीन दिनों के भीतर, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अनुमोदित न किया गया हो अथवा नामंजूर नहीं किया गया हो, तो रजिस्ट्रीकरण मंजूरी के लिए आवेदन अनुमोदित समझा जाएगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के सम्बंध में बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के अन्य प्रावधान, उप–नियम (1) के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें।

5. **रजिस्ट्रीकरण का संशोधन एवं रद्दीकरण** :–

(1) यदि कोई निर्धारिती –

(क) ऊर्जा उत्पादन या वितरण जारी नहीं रखता है; या

(ख) एक नया प्लांट प्रतिष्ठापित करता है या वर्तमान प्लांट का कोई विस्तार, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना हो; या

(ग) अपने कारबार के किसी भाग का विक्रय करता है या अन्यथा निपटाता है अथवा कारबार के स्वामित्व, नाम या अधिनाम में कोई परिवर्तन करता है तो वह अथवा यदि उसकी मृत्यु हो गई हो, उसका विधिक प्रतिनिधि, ऐसे जारी न रहने, प्रतिष्ठापन, विस्तार, विक्रय या परिवर्तन से तीस दिनों की अवधि के भीतर इस प्रभाव का एक प्रतिवेदन नियम 3 में निर्देशित प्राधिकार को समर्पित करेगा।

(2) (क) जहाँ उप नियम (1) के अन्तर्गत प्राप्त विवरण या अन्यथा प्राप्त सूचना के कारण, निर्धारिती द्वारा प्रपत्र–I में दिए गए सूचना में संशोधन आवश्यक हो जाता है, नियम 3 में निर्देशित प्राधिकार, ऐसी जाँच करने के बाद जिसे वह उपयुक्त समझे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन कर देगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में संशोधन के संबंध में बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के प्रावधान ऐसे संशोधन के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें।

(ख) जब नियम–3 में निर्देशित प्राधिकार किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के रद्दीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त करता है अथवा उसका अन्यथा समाधान हो जाता है कि किसी निर्धारिती का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द किया जाना चाहिए तो वह ऐसी जाँच करने के बाद जिसे वह उपयुक्त समझे, और निर्धारिती द्वारा उसपर बकाया शुल्क के भुगतान पर, आदेश द्वारा, आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि के प्रभाव से प्रमाण पत्र रद्द कर देगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के रद्दीकरण के संबंध में बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के प्रावधान ऐसे रद्दीकरण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें।

6. **शुल्क का भुगतान** :– प्रत्येक निर्धारिती, प्रत्येक माह के संबंध में, उसपर बकाए शुल्क की पूर्ण राशि का भुगतान, आगामी माह के पंद्रहवी तिथि को या उसके पूर्व, कर देगा।

7. **भुगतान की पद्धति** :– अधिनियम के अधीन किसी शुल्क या ब्याज या शास्ति या फीस का भुगतान बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 27 में निर्दिष्ट रीति से चालान प्रपत्र–III द्वारा किया जायेगा।

8. **वसूली का विशेष ढंग** :– अधिनियम के अधीन नियुक्त प्राधिकार धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही के मामले में किसी व्यक्ति या किसी रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी को प्रपत्र –IV में एक नोटिस तामील करेगा।

9. **रिटर्न–जमा करना** :–

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत निर्धारिती प्रत्येक कैलेंडर माह के लिये नियम 3 में निर्देशित प्राधिकार को प्रपत्र–V में एक रिटर्न उस माह की समाप्ति से, जिस माह से रिटर्न का संबंध हो, छब्बीस दिनों के भीतर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रीति से समर्पित करेगा। रिटर्न उसमें इंगित रीति से सत्यापित किया जाएगा और निर्धारिती अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। जब एक निर्धारिती एक से अधिक लाईसेंस रखता है तो प्रत्येक लाईसेंस के संबंध में अलग–अलग रिटर्न जमा किये जाएंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन रिटर्न प्रस्तुत करने के पश्चात् निर्धारिती यदि इसमें कोई लोप या गलत कथन पाता है तो वह उस वर्ष जिससे ऐसा रिटर्न संबंधित हो, के ठीक बाद वाले वर्ष के 31 दिसम्बर के पूर्व किसी भी समय प्रपत्र–Vक में संशोधित मासिक रिटर्न दे सकेगाः

परंतु ऐसा कोई भी रिटर्न विचारण में नहीं लिया जाएगा यदि नियम 3 में निर्देशित प्राधिकार द्वारा सूचना मिलने पर या अन्यथा और लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, उक्त प्राधिकार का समाधान हो जाता है कि मूल रूप से उपलब्ध कराया गया रिटर्न जानबूझकर मिथ्या था अथवा वह राज्य सरकार के राजस्व की अपवंचना के आशय से दिया गया था।

(3) उपनियम (1) में किसी बात के अंतर्विष्ट रहते हुए भी, जहाँ निर्धारिती एक से अधिक अंचल में रजिस्ट्रीकृत हो, वहाँ आयुक्त, लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसा निर्धारिती प्रत्येक ऐसे अंचल के संबंध में प्रपत्र–V में पृथक रिटर्न दाखिल करने के बदले, अधिनियम के अधीन नियुक्त ऐसे प्राधिकार को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, एक ही उपलब्ध कराएगा और इसी प्रकार उस आदेश को परिवर्तित, उपांतरित अथवा बातिल कर सकेगा।

(4) ऐसा निर्धारिती जिसके संबंध में उपनियम (3) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया हो, अधिनियम या इस नियमावली के प्रयोजनार्थ उस अंचल का, जिसमें उपनियम (3) के तहत रिटर्न दाखिल करने की अनुज्ञा दी गई हो, एक निर्धारिती होना समझा जाएगा।

10. **रिबेट** ।– कोई निर्धारिती, जो रिटर्न दाखिल करता है और उस रिटर्न के अनुसार भुगतेय शुल्क की राशि का भुगतान विहित समय के भीतर विहित रीति से करता है, उसे वर्ष में, भुगतेय शुल्क की राशि पर आधा प्रतिशत की दर से, रूपये पचास हजार की सीमा तक, रिबेट स्वीकृत किया जाएगा और निर्धारिती भुगतान करते समय अपने द्वारा भुगतेय शुल्क की राशि से इस नियम के अधीन अनुमान्य रिबेट की राशि की कटौती कर सकेगा।

11. **निर्धारण** :–

(1) निर्धारिती की उपस्थिति अथवा उसके द्वारा किसी साक्ष्य के उपस्थापन के बिना यदि निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी अवधि के संबंध में दाखिल किया गया रिटर्न शुद्ध और पूर्ण है तो वह ऐसे रिटर्न के आधार पर निर्धारिती से बकाए शुल्क की राशि का निर्धारण कर देगा।

(2) यदि निर्धारण अधिकारी का समाधान निर्धारिती की उपस्थिति या साक्ष्य के उपस्थापन के बिना नहीं होता है कि किसी अवधि के संबंध में दाखिल किया गया रिटर्न शुद्ध या पूर्ण है तो वह ऐसे निर्धारिती पर प्रपत्र–VI में एक नोटिस, उसमें विनिर्दिष्ट तिथि एवं स्थान पर या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या रिटर्न के समर्थन में कोई साक्ष्य जिसपर वह निर्भर करता है, उपस्थापित करने या करवाने हेतु तामील करेगा।

(3) नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि को अथवा उसके बाद यथाशीघ्र, जैसा हो, निर्धारिती द्वारा उपस्थापित साक्ष्य एवं ऐसे अन्य साक्ष्य, जिसे निर्धारण अधिकारी किसी विनिर्दिष्ट बिंदु या बिन्दुओं पर अपेक्षा करे, की सुनवाई के बाद निर्धारिती से बकाए शुल्क की राशि, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा।

(4) यदि निर्धारिती कोई रिटर्न देने में विफल रहता है अथवा उपनियम (2) के अधीन निर्गत नोटिस की सभी शर्तों को दिए गए रिटर्न में पूरा करने में अथवा उपनियम (3) के अधीन साक्ष्य उपस्थापित करने में विफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के बाद, अपने सर्वोतम विवेक के अनुसार निर्धारिती से बकाया शुल्क की राशि का, यदि कोई हो, निर्धारण करेगा।

12. **मांग की सूचना** ।– यदि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी निर्धारिती द्वारा कोई राशि भुगतेय हो तो, निर्धारण अधिकारी ऐसे निर्धारिती को उक्त राशि का भुगतान करने के लिये प्रपत्र–VII में एक नोटिस तामील करेगा और ऐसी राशि के लिये उसके द्वारा किये गये किसी भुगतान के साक्ष्य में चालान की एक प्रति उक्त नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर या उससे पहले प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। यह नोटिस निर्धारिती द्वारा अधिकाई भुगतान की दशा में भी तामील किया जाएगा।

13. **अपील ज्ञापन तथा पुनरीक्षण के लिए आवेदन** ।–

(1) शास्ति के साथ या बिना शास्ति के निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकार के समक्ष संस्थित होगा। प्रत्येक अपील प्रपत्र–VIII में और पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रपत्र–IX में होगा और निम्नलिखित के साथ होगा :–

(क) अपीलार्थी/आवेदक का नाम, पता और ई–मेल पता ;

(ख) उस आदेश की तिथि जिस आदेश के विरूद्ध यह किया गया है ;

(ग) वह तिथि जिस तिथि को अपीलार्थी/आवेदक को आदेश संसूचित किया गया था ;

(घ) स्पष्ट तथ्य विवरणी अंतर्विष्ट रहेगी ;

(ड.) बिना किसी तर्क या विवरण के उन आधारों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर अपील या पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया हो और क्रमिक रूप से संख्यांकित किया जाएगा;

(च) जिस राहत के लिए प्रार्थना की गई है, उसका संक्षिप्त विवरण ; और

(छ) अपीलार्थी या आवेदक या इस निमित्त इसके द्वारा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्त्ता द्वारा निम्नलिखित प्रपत्र हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जाएगा, यथा–

मैं ..... उपर्युक्त अपील ज्ञापन/पुनरीक्षण के लिए आवेदन में नामांकित अपीलार्थी/ आवेदक एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इसमें जो कुछ भी अधिकथित है मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(2) अपील ज्ञापन या पुनरीक्षण आवेदन, यथास्थिति, के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे :–

(i) आक्षेपित आदेश की एक प्रमाणित प्रति; और

(ii) धारा 11 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार शुल्क राशि के भुगतान के साक्ष्य के रूप में प्रपत्र–III में चालान की एक प्रति।

(3) अपील ज्ञापन दो प्रतियों में होगा और अपीलीय अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष हाथ से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **अपील अथवा पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा** :–

(1) अपील ज्ञापन अथवा पुनरीक्षण आवेदन में नियम 13 की सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है तो अपील प्राधिकार उसे सरसरी तौर पर नामंजूर कर सकेगाः

परंतु कोई अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन इस उपनियम के अधीन सरसरी तौर पर तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी या आवेदक को अपील ज्ञापन या आवेदन को नियम 13 की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप लाने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2) अपील या पुनरीक्षण हेतु कोई आवेदन अपीलार्थी या आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद अन्य समुचित आधार पर सरसरी तौर पर रद्द किया जा सकेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकार अथवा पुनरीक्षण प्राधिकार, यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण के प्रस्तुतीकरण की तिथि से सामान्यतः तीस दिनों के भीतर आक्षेपित आदेश और/अथवा उस आदेश से संबंधित अभिलेखों की उचित जाँच करने के बाद, या तो स्वीकार अथवा नामंजूर कर सकेगाः

परंतु, यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण नामंजूर करने वाला कोई आदेश, अपीलार्थी या आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(4)(क) यदि अपीलार्थी या आवेदक उस आदेश जिसके विरूद्ध, यथास्थिति, अपील की गई हो अथवा पुनरीक्षण आवेदन दिया गया हो, से उत्पन्न विवादित शुल्क राशि, शास्ति अथवा ब्याज की वसूली के स्थगन के लिए प्रार्थना करने का इरादा करे तो वह अन्य बातों के साथ स्थगित की जानेवाली शुल्क, शास्ति अथवा ब्याज की वास्तविक राशि से संबंधित तथ्यों के सार, और विवादित शुल्क, शास्ति या ब्याज की वास्तविक राशि उक्त आदेश के पहले और बाद शुल्क का भुगतान और स्थगन की मांग के लिए संक्षेप में मामले का इतिहास अंतर्विष्ट करते हुए स्थगन अर्जी दायर करेगा और नियम 13 के अधीन स्थगन अर्जी अपील ज्ञापन या पुनरीक्षण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी किंतु किसी भी दशा में उस अपील या उस पुनरीक्षण दायर करने की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के बाद दायर नहीं की जाएगी।

(ख) जहाँ स्थगन अर्जी, यथास्थिति, अपीलीय प्राधिकार अथवा पुनरीक्षण प्राधिकार के समक्ष, अपील ज्ञापन या पुनरीक्षण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई हो तथा ऐसी अपील या पुनरीक्षण ग्रहण कर लिया गया हो, वहाँ वह अपीलार्थी या आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, ऐसी स्थगन अर्जी को, ऐसी अर्जी के प्रस्तुतीकरण की तिथि से एक माह के भीतर निपटाव करेगा।

(ग) यथास्थिति, अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकार, स्वविवेक से लिखित आदेश द्वारा विवादित शुल्क, शास्ति या ब्याज की वसूली को अंशतः या पूर्णतः, ऐसी शर्तों पर, जैसी वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे, स्थगित कर सकेगा।

(घ) यदि शुल्क, शास्ति या ब्याज की राशि की वसूली अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शुल्क, शास्ति या ब्याज की राशि के भुगतान अथवा खंड (ग) में निर्देशित आदेश में विनिर्दिष्ट विवादित शुल्क, शास्ति या ब्याज की राशि के भुगतान की सुरक्षा के लिए प्रतिभूति देने के अध्यधीन स्थगित की गई हो तो अपीलार्थी या आवेदक उस आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि तक उस शुल्क, शास्ति या ब्याज की राशि का भुगतान करेगा अथवा वह प्रतिभूति देगा।

(ड.) जहाँ कोई अपीलार्थी या आवेदक खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेशानुसार उसमें विनिर्दिष्ट तारीख तक अथवा ऐसी अन्य तारीख तक जिसकी अनुमति अपील या पुनरीक्षण प्राधिकार द्वारा दी जाए, विवादित शुल्क, शास्ति या ब्याज की किसी राशि का भुगतान अथवा प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल होता है तो, यथास्थिति, शुल्क, शास्ति अथवा ब्याज के रकम की वसूली स्थगित करनेवाला ऐसा आदेश, यथास्थिति, आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि को या अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकार द्वारा यथास्वीकृत अन्य तिथि की समाप्ति के बाद स्वतः रद्द हो जाएगा।

(5) जहाँ अपील या पुनरीक्षण आवेदन मेरिट पर सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया हो वहाँ अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकार, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण आवेदन पर अंतिम आदेश पारित करने की तिथि नियत करेगा यदि सुनवाई की तिथि को आदेश पारित नहीं किया गया हो।

15. **आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण** :– धारा 13 के प्रयोजननार्थ, आयुक्त प्रपत्र–X में नोटिस देकर किसी निर्धारिती से यथोचित कागजात, लेखा या अन्य साक्ष्य, जिसे वह उपयुक्त समझे, अपने समक्ष प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत कराने की अपेक्षा कर सकेगा।

16. **पुनर्विलोकन** :–

(1) अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकार जब अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश का धारा 14 के अधीन पुनर्विलोकन करता है तो वह ऐसा वैसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(2) आयुक्त अथवा इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, आयुक्त से भिन्न, अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी, उस आदेश के जिसके पुनर्विलोकन की मांग की गई हो, पारित होने की तिथि से चौबीस माह के समाप्ति के पूर्व के सिवाय, किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन नहीं करेगा।

(3) आयुक्त अथवा इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, आयुक्त से भिन्न, अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी किसी आदेश का, जिसे कार्यालय में उसके पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन नहीं करेगा।

17. **प्रतिदाय** :–

(1) यदि निर्धारिती द्वारा अंतिम रूप से अभिनिर्धारित भुगतेय राशि से अधिक का भुगतान किया गया हो और जिसके संबंध में नियम 12 के अधीन उस पर अधिकाई का नोटिस तामील किया गया हो, तो वह उस राशि के प्रतिदाय के लिए आवेदन, उक्त नोटिस के तामीला की तिथि से बारह माह के भीतर, संबंधित अंचल प्रभारी के समक्ष दाखिल करेगा।

(2) अंचल का प्रभारी अधिकारी 25,000/- रूपये तक की राशि का प्रतिदाय करने के लिए तथा संबंधित प्रमंडल का राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन) 25,000/- रूपये से अधिक राशि के प्रतिदाय के लिए सक्षम प्राधिकार होगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन प्रतिदाय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित आदेश कर सकेगा :–

(क) किसी अन्य अवधि के लिए निर्धारिती द्वारा भुगतेय किसी राशि के विरूद्ध समायोजन के द्वारा प्रतिदाय के लिए आदेश ;

(ख) यदि कोई राशि निर्धारिती द्वारा भुगतेय न हो तो नकद प्रतिदाय के लिए आदेश।

(4) समायोजन द्वारा प्रतिदाय या नगद प्रतिदाय के लिए कोई आदेश प्रपत्र XI में होगा और निर्धारिती अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रदान किया जाएगा तथा प्रतिदाय भुगतान आदेश की एक प्रति संबंधित कोषागार को भी तत्समय अग्रसारित की जाएगी।

18. **परिसरों में प्रवेश करने तथा कागजात जब्त करने की शक्ति** ।– कोई भी निरीक्षी प्राधिकारी, अधिनियम या इस नियमावली के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए, अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर –

(क) किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन या ऊर्जा वितरण के लिए किया जाता हो, या जहां मीटर, अन्य मशीन साधित्र या यंत्र या ऊर्जा उत्पादन, वितरण, विक्रय या उपभोग से संबंधित कोई लिखित अभिलेख, रजिस्टर या लेखा रखा गया हो और उस परिसर के प्रभारी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि निरीक्षी प्राधिकारी को उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सुविधा प्रदान करे।

(ख) किसी निर्धारिती से ऊर्जा उत्पादन, वितरण, विक्रय या उपभोग से संगत किसी उपकरण, यंत्र, लेखा या दस्तावेज को उसके समक्ष उपस्थापित करने या करवाने की मांग या अपेक्षा कर सकेगा।

(ग) निर्धारिती के किसी उपकरण, यंत्र, लेखा, रजिस्टर या दस्तावेजों या अन्य अभिलेखों को जब्त कर सकेगा यदि यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि कोई निर्धारिती अधिनियम के अधीन अपने द्वारा भुगतेय किसी शुल्क के भुगतान का अपवंचन करने हेतु प्रयास कर रहा है :

परंतु जब कभी कोई उपकरण, यंत्र, लेखा, रजिस्टर, दस्तावेज या अभिलेख जब्त किया जाय, निर्धारिती को उसके लिये एक रसीद दी जाएगी तथा जब्त उपकरण, यंत्र, लेखा, रजिस्टर, दस्तावेज या अभिलेख केवल तब तक रखे जाएंगे जब तक उसके परीक्षण या किसी अभियोजन के प्रयोजनार्थ वह आवश्यक समझा जाए।

(घ) उर्जा उत्पादन, वितरण, विक्रय या उपभोग दर्शाने वाले रजिस्टर एवं लेखा–पुस्त के उचित संधारण के लिए निर्धारिती को, समय–समय पर, अनुदेश निर्गत कर सकेगा और निर्धारिती का कर्त्तव्य होगा कि वह उन सभी अनुदेशों का क्रियान्वयन करे।

19. **मीटर पठन** ।– ऊर्जा के संबंध में अधिनियम के अधीन शुल्क का दायी कोई अनुज्ञप्तिधारी यथासंभव प्रत्येक उपभोक्ता का मीटर प्रत्येक माह में एक ही तिथि को पढ़वाएगा और माह में उपभुक्त उर्जा की इकाई का अभिलेख संधारित करेगा। ऐसे आनुक्रमिक पठन के बीच की अवधि की गणना शुल्क संगणन और नियम–9 के अधीन रिटर्न दाखिल करने के उद्देश्य से एक माह के रूप में की जाएगी।

20. **मीटर का प्रावधान** ।– प्रत्येक निर्धारिती अपने द्वारा उत्पादित, वितरित, बिक्री की गई अथवा उपभुक्त ऊर्जा की मात्रा पंजीकरण करने के लिए पृथक, सुयोग्य और शुद्ध मीटर या सब–मीटर प्रतिष्ठापित और संधारित करेगा और इसी प्रकार उपभोक्ताओं के परिसर में ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा उपभुक्त ऊर्जा की मात्रा के सही पंजीकरण के लिए मीटर प्रतिष्ठापित और संधारित करवाएगा :

परंतु जहाँ ऊर्जा की मात्रा को पंजीकृत करने के लिए एक संयुक्त मीटर हो, जिसका एक भाग किसी भी दर पर या विभिन्न दरों पर शुल्क योग्य हो और कोई भाग छूट–प्राप्त हो, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रकार की खपत की मात्रा के पृथकरूप से पंजीकरण के लिए पृथक मीटर प्रतिष्ठापित करवायेगाः

परंतु यह और कि कोई निर्धारिती निरीक्षी प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि ऐसे पृथक मीटरों या सब–मीटरों का प्रतिष्ठापन या संधारण उससे उद्ग्रहण योग्य शुल्क की राशि के अप्रत्यानुपातिक खर्च अंतर्ग्रस्त करते हैं, और निरीक्षी प्राधिकारी को ऐसा डाटा उपलब्ध कराता है जो निरीक्षी प्राधिकारी की राय में उक्त शुल्क के निर्धारण के लिए आवश्यक हो तो वह भुगतेय शुल्क निर्धारित कर सकेगा और ऐसे निर्धारिती को इस नियम की अपेक्षा से छूट दे सकेगा। इस परंतुक के अधीन छूट प्राप्त निर्धारिती निरीक्षी पदाधिकारी को तीस दिनों के भीतर डाटा में किसी परिवर्त्तन को संसूचित करेगा जिसके आधार पर उसके द्वारा भुगतेय शुल्क का निर्धारण किया गया था।

21. **सील करना** ।– निरीक्षी प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, अनुज्ञप्तिधारी से अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा, जो अपने स्वयं या अपने कर्मचारी के उपभोग के लिए उर्जा उत्पादित करता है, नियम–21 के प्रयोजनार्थ प्रतिष्ठापित किसी मीटर या सब–मीटर पर एक या अधिक मुहर या मुहरों को चिपका सकेगा।

22. **लेखा–पुस्त** ।– अधिनियम की धारा–7 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रपत्र XII में लेखा पुस्त रखे जाएंगे और उनमे निम्नलिखित विशिष्टियॉ अंतर्विष्ट होगी, यथा–

(क) उससे तथा अन्य लोगों से संबंधित विद्युत की इकाईयों की संख्या यदि अधिनियम की धारा–3 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपभोक्तओं के विभिन्न वर्गों के लिए यदि कोई विद्युत की आपूर्त्ति की जाती हो;

(ख) उन परिसरों का विवरण जिन्हें विद्युत की आपूर्ति की जाती हो;

(ग) उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गो के संबंध में असंग्रहित और संग्रहित चार्ज की दर के साथ और अलग से नहीं दर्शाए गए विद्युत शुल्क की राशि, और

(घ) विद्युत शुल्क के भुगतान में विफलता पर विद्युत आपूर्त्ति असंबद्ध करने की तिथि :

परंतु यह कि अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त खंड (ख) में विनिर्दिष्ट का एक पृथक विवरण निरीक्षी प्राधिकारी के समाधान के लिए प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) धारा–7 के अधीन गैर–अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखापुस्त का संधारण प्रपत्र XIII में किए जाएंगे और उनमें निम्नलिखित विशिष्टियॉ अंतर्विष्ट होगी यथा–

(i) विद्युत उत्पादन का स्थान तथा उत्पादित विद्युत की कुल यूनिट

(ii) सहायी उपभोग के लिए उपभोगित विद्युत यूनिट की संख्या तथा उसपर भुगतेय शुल्क ;

(iii) उसके द्वारा अन्य को आपूर्ति किये गये विद्युत यूनिट की संख्या;–

(क) अनुज्ञप्तिधारियों के ग्रिड के माध्यम से;

(ख) डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाईन के माध्यम से; और

उस पर भुगतेय शुल्क और वसूल की गई राशि।

(3) अधिनियम की धारा–7 के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी या गैर–अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखे जाने वाले लेखा–पुस्तों को उस वर्ष, जिससे वे संबंधित हैं, की समाप्ति से पाँच वर्ष से अन्यून की अवधि तक, या उस वर्ष के लिए निर्धारण, अपील या पुनरीक्षण पूरा हो जाने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि के लिए, जो भी बाद में हो, संरक्षित रखा जायेगा।

23. **बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के कतिपय नियमों का लागू होना** ।– अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए ऐसी सभी प्रक्रिया तथा आनुषंगिक मामले जिनके लिए इस नियमावली में कोई उपबंध नहीं किया गया हो अथवा अपर्याप्त उपबंध किए गए हों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के सुसंगत नियम या उनके उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

24. **सजा ।**– इस नियमावली के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति उस जुर्माने से, जिसे पॉच हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

25. **मैनुअल फाईलिंग प्रोसेसिंग ।**– किसी विहित रीति या प्रक्रिया के संबंध में इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी आवेदन, सूचना, जबाब, घोषणा, विवरण की ''इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग'' या नोटिस, आदेश या प्रमाण–पत्र के ''इलेक्ट्रॉनिक निर्गमन'' के किसी संदर्भ में उस रीति एवं प्रक्रिया के संबंध में उक्त आवेदन, सूचना, जबाब, घोषणा, विवरण या उक्त नोटिस, आदेश या इस नियमावली से संलग्न ऐसे प्रपत्रों में प्रमाण–पत्र के निर्गमन की ''मैनुअल फॉईलिंग'' भी सम्मिलित है।

प्रपत्र–I

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

(नियम 3 देंखे)

सेवा में,

.....

.....(अंचल)

मैं..... (पूरा नाम), पिता–..... (पूरा नाम), एतद् द्वारा बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 2020 के नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र देने का आवेदन करता हूँ और इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विशिष्टियॉ उपलब्ध कराता हूँ :–

1. **व्यवसायी / निर्धारिती / अनुज्ञप्तिधारी का विवरण**		
(क)	आवेदक का नाम	
(ख)	आवेदक के पिता का नाम	
(ग)	ई0मेल आई0 डी0	
(घ)	मोबाईल संख्या	
(ड.)	स्थायी लेखा संख्या (पैन)	
2.	व्यवसाय का नाम (व्यवसायी / निर्धारिती / अनुज्ञप्तिधारी)	
3.	व्यवसाय की विधिक प्रास्थिति (स्वत्व / भागीदारी प्राईवेट लिमिटेड कंपनी / एच0यू0 एफ / व्यष्टिसंगम / अन्य)	
4.(क)	प्रभारी का नाम	
(ख)	प्रभारी का पदनाम	
5.	व्यवसाय की प्रकृति (उत्पादन / वितरण / उपभोग या इनमे से कोई एक)	
6.	विद्युत शुल्क भुगतान के दायित्व की तिथि	
7.	उत्पादन प्लांट का स्थान	
(क)	कमरा / ब्लॉक / फ्लैट संख्या	
(ख)	भवन का नाम	
(ग)	नगर पालिका	
(घ)	गली का नाम	
(ड.)	क्षेत्र / स्थान	
(च)	ग्राम / शहर / नगर / प्रखंड	
(छ)	जिला	
(ज)	राज्य	
(झ)	पिन कोड	

(ञ)	ई–मेल आई0 डी0	
(ट)	फोन संख्या	
(ठ)	फैक्स संख्या	
8.	कैप्टिभ पावर प्लांट का स्थान	
(क)	भवन का नाम	
(ख)	नगर पालिका	
(ग)	गली का नाम	
(घ)	क्षेत्र /स्थान	
(ड.)	ग्राम/शहर/नगर/प्रखंड	
(च)	जिला	
(छ)	राज्य	
(ज)	पिन कोड	
9.	वितरण करने वाले प्लांट का स्थान	
(क)	कमरा/ब्लॉक/फ्लैट संख्या	
(ख)	भवन का नाम	
(ग)	नगर पालिका	
(घ)	गली का नाम	
(ड़)	क्षेत्र /स्थान	
(च)	ग्राम/शहर/नगर/प्रखंड	
(छ)	जिला	
(ज)	राज्य	
(झ)	पिन कोड	
(ञ)	ई–मेल आई0 डी0	
(ट)	फोन संख्या	
(ठ)	फैक्स संख्या	
10.	सम्प्रेषण के लिए पता	
(क)	कमरा/ब्लॉक/फ्लैट नं०	
(ख)	भवन का नाम	
(ग)	नगर पालिका	
(घ)	गली का नाम	
(ड़)	क्षेत्र /स्थान	
(च)	ग्राम/शहर/नगर/प्रखंड	
(छ)	जिला	
(ज)	राज्य	
(झ)	पिन कोड	
(ञ)	ई–मेल आई0 डी0	
(ट)	फोन संख्या	
(ठ)	फैक्स संख्या	
11.	उत्पादन और/या वितरण स्थानों की सूची जिनके लिए निर्धारिती अनुज्ञप्ति धारित करता है।	
	अनुज्ञप्ति धारित का नाम	
	स्थान पूरा पता सहित	

	(यदि आवश्यक हो तो पंक्तियाँ जोड़े)	
12.	सामान्य रूप से संधारित लेखापुस्त	
13.	विगत वर्ष में उत्पादित कुल इकाईयाँ	
	अभ्युक्ति	
14.	स्वामी /भागीदारो/निदेशक/कर्त्ता /न्यासियों/शासी निकाय के सदस्यों / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं की विशिष्टियॉ	
	विवरण	
	पूरा नाम, माता–पिता और पता	

मैं घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य और पूर्ण है।

दिनांक– ..... **हस्ताक्षर**.....

स्थान– ..... **पदनाम**.....

<u>प्रपत्र–II</u>

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र।

(नियम 4 देखें)

राज्य कर .... का कार्यालय।

..... अंचल।

यह प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारिती, जिसकी विशिष्टियॉ नीचे दी गई है, का रजिस्ट्रीकरण बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 2020 के नियम 4 के अधीन ..... (तिथि) को किया गया है। वह .....(तिथि) के प्रभाव से उपभोग के लिए उर्जा के वितरण और/या उर्जा के उपभोग के लिए शुल्क के भुगतान का दायी है :–

1. निर्धारिती का नाम–
2. व्यक्ति (प्रबंधन का प्रभारी) का नाम–
3. रजिस्ट्रीकरण संख्या–
4. व्यवसाय की प्रकृति–
5. उत्पादन/कैप्टिभ पावर प्लांट/वितरण प्लांट का स्थान–
6. कोषागार का नाम जहॉ शुल्क जमा किया जाना हो–

स्थान'– ..... हस्ताक्षर.....

तिथि– ..... पदनाम.....

कार्यालय का मुहर–

प्रपत्र–III

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के अधीन चालान।

(नियम 7 देखें)

क्रम संख्या–.....

कोषागार–.....

बैंक का नाम–.....

शाखा कोड–.....

मुख्य शीर्ष :विद्युत शुल्क–.....

लघु शीर्ष –.....

बैंक में राशि भुगतान हेतु चालान–.....

माह/तिमाही/वर्ष–.....

अंचल का नाम जिससे भुगतान संबंधित हो–.....

किसके द्वारा दिया गया–.....

किसकी ओर से दिया गया–.....

रजिस्ट्रीकरण संख्या–.....

भुगतान का मद	**राशि**
• स्वीकृत शुल्क	
• निर्धारित /पुनर्निधारित शुल्क	
• ब्याज	
• शास्ति/जुर्माना	
• फीस	
• अपील फीस	
• पुनरीक्षण फीस	
• विविध	
कुल	

रूपये .....(शब्दों में)

अनुज्ञप्तिधारी / जमाकर्त्ता का हस्ताक्षर

प्रपत्र–IV

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा–18 के अधीन माँग की सूचना

(नियम 8 देखें)

संख्या–.....

तिथि–.....

राज्य कर .... का कार्यालय।

..... अंचल।

सेवा में,

.....

.....

चूँकि बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत निर्धारिती..... (बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के अधीन निर्धारिती का नाम), रजिस्ट्रीकरण संख्या ..... द्वारा बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के अधीन देय कर और/या लगाए गए अर्थदण्ड और/या चुकाए जाने वाले ब्याज मद में ..... रू0 की रकम देय है, जिसे उसने नहीं चुकाया है; और

चूँकि आपके पास उक्त व्यापारी का रूपया पावना है अथवा पावना हो सकता है, अथवा उक्त व्यापारी के लिए अथवा/उसकी ओर से आप रूपया धारित करते हैं अथवा आगे चलकर रूपया धारित कर सकते हैं;

इसलिए, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा 18 के अधीन एतद् द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके पास उस व्यापारी का जो भी पावना हो या जो रकम आप धारित करते हों उसमें से ऊपर दिखाई गई बकाए की रकम आप सरकारी कोषागार/बैंक में ..... (तिथि) तक जमा कर दें।

आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आगे चलकर उक्त व्यापारी का जो भी पावना आपके जिम्मे निकले उसमें से अब तक न चुकाई गई बकाए की रकम के बराबर रकम ज्यों ही आपके पास पावना हो जाए या आपके द्वारा धारित हो, त्यों ही उक्त सरकारी कोषागार/बैंक में जमा कर दें।

कृपया ध्यान रखें कि इस नोटिस के अनुपालन में आपके द्वारा किया गया कोई भुगतान, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा 18(3) के अधीन, व्यापारी द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के अन्तर्गत किया गया भुगतान समझा जाएगा और सरकारी कोषागार/बैंक से जो रसीद मिलेगी, वह विनिर्दिष्ट रकम की सीमा तक, उक्त व्यापारी के प्रति आपके दायित्व के उन्मोचन का समुचित और पर्याप्त प्रमाण होगी।

कृपया इसका भी ध्यान रखें कि यदि आप इस नोटिस की तामील के बाद व्यापारी के किसी पावने का भुगतान उसे कर देंगे, तो उक्त अधिनियम की धारा 18(6) के अधीन आप व्यक्तिगत रूप से, इस प्रकार चुकाए गए पावने की सीमा तक अथवा शुल्क और/या शास्ति अथवा ब्याज के रूप में व्यापारी के दायित्व की सीमा तक इनमें से जो भी कम हो, राज्य सरकार को चुकाने के भागी होंगे।

कृपया यह भी ध्यान रखें कि इस नोटिस के मुताबिक आपसे जो धन–राशि चुकाने की अपेक्षा की गई है अथवा जिसके लिए आप व्यक्तिगत तौर पर राज्य सरकार के प्रति दायी हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसका भुगतान यदि नहीं हुआ तो वह उक्त अधिनियम की धारा 18(5) के अधीन भू–राजस्व के बकाया के रूप में आप से वसूली जायेगी।

उक्त कोषागार/बैंक में सरकार के खाते में रूपया जमा करने के लिए आवश्यक चालान अनुलग्न है।

.....(व्यौहारी) को इस नोटिस की एक प्रति भेजी जाती है।

स्थान– ..... हस्ताक्षर.....

दिनांक– ..... पदनाम.....

कार्यालय का मुहर

ज्ञाप संख्या–..... तिथि–.....

राज्य कर ..... का कार्यालय, ...अंचल।

प्रतिलिपि– मेसर्स..... (व्यौहारी) को भेजी जाती है।

हस्ताक्षर

पदनाम

प्रपत्र–V

आपूरित विद्युत का यूनिट, उस पर वसूला गया और सरकार को संदत्त विद्युत शुल्क दर्शाने वाला मासिक रिटर्न।

[नियम 9(1) देंखे]

निर्धारिती का नाम :–
पता :–
रजिस्ट्रीकरण संख्या :–
माह :–
वर्ष :–

(राशि रूपये में)

क्रमांक	टैरिफ कोटि*	कोटि में उपभोक्ताओं की संख्या	कुल उपभोग चार्ज	धारा 3(2) के अधीन छूट प्राप्त उपभोग चार्ज	शुद्ध उपभोग चार्ज (4–5)	शुल्क की दर (प्रतिशत में)	शुद्ध शुल्क योग्य चार्ज पर विद्युत शुल्क (6 x 7)	धारा 6(7) एवं नियम 10 के अधीन रिबेट	रिबेट के बाद का राशि (8–9)	असंबंधित लेजर को अंतरित	असंबद्ध किये गये उपभोक्ताओं से वसूलियाँ	शुद्ध शुल्क (10–11+12)	कोषागार को संदत्त शुल्क की राशि का ब्यौरा	चालान संख्या एवं तिथि ब्यौरा	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
कुल															

मैं घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त विवरण/विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में पूर्ण और सत्य है।

टैरिफ कोटि*–

1 भाग क–आवासीय
2. भाग ख–वाणिज्यिक
3. भाग ग–कृषि
4. भाग घ–अस्थायी
5. भाग ड०–विज्ञापन एवं होर्डिंग
6. भाग च–औद्योगिक
7. भाग छ–मोनो एवं मेट्रो रेल।

दिनांक :– **हस्ताक्षर**

स्थान :– **प्रास्थिति**

प्रपत्र–V -क

आपूरित विद्युत का यूनिट, उस पर वसूल किया गया और सरकार को संदत्त विद्युत शुल्क दर्शाने वाला संशोधित मासिक रिटर्न।

[नियम 9(3) देंखे]

निर्धारिती का नाम :–
पता :–
रजिस्ट्रीकरण संख्या :–
माह :–
वर्ष :–
मूल मासिक रिटर्न दाखिला की तिथि :–

(राशि रूपये में)

क्रमांक	टैरिफ कोटि*	कोटि में उपभोक्ताओं की संख्या	कुल उपभोग चार्ज	धारा 3(2) के अधीन छूट प्राप्त उपभोग चार्ज	शुद्ध उपभोग चार्ज (4–5)	शुल्क की दर (प्रतिशत में)	शुद्ध शुल्क योग्य चार्ज पर विद्युत शुल्क (6 x 7)	धारा 6(7) एवं नियम 10 के अधीन रिबेट	रिबेट के बाद का राशि (8–9)	असंबंधित लेजर को अंतरित	असंबद्ध किये गये उपभोक्ताओं से वसूलियाँ	शुद्ध शुल्क (10–11+12)	कोषागार को संदत्त शुल्क की राशि का ब्यौरा	चालान संख्या एवं तिथि ब्यौरा	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
कुल															

मैं घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त विवरण/विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में पूर्ण और सत्य है।

टैरिफ कोटि*–

1 भाग क–आवासीय
2. भाग ख–वाणिज्यिक
3. भाग ग–कृषि
4. भाग घ–अस्थायी
5. भाग ड०–विज्ञापन एवं होर्डिंग
6. भाग च–औद्योगिक
7. भाग छ–मोनो एवं मेट्रो रेल।

दिनांक :– **हस्ताक्षर**

स्थान :– **प्रास्थिति**

<u>प्रपत्र– VI</u>

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत सुनवाई की सूचना

(नियम 11 देखे)

संख्या–.....

तिथि–.....

राज्य कर .... का कार्यालय।

..... अंचल।

सेवा में,

.....

.....

रजिस्ट्रीकरण संख्या –

पता –
(प्रपत्र–I में अद्यतन जानकारी के अनुसार पता निर्दिष्ट करें)

ई–मेल पता –

(क) चूँकि आपकी उपस्थिति अथवा साक्ष्य के उपस्थापन की अपेक्षा किए बिना मेरा समाधान नहीं होता है कि नीचे वर्णित कालावधि के लिए आपके द्वारा दाखिल किया गया रिर्टन शुद्ध और पूर्ण हैं, इसलिए मैं एतद् द्वारा आपसे व्यक्तिगत रूप से बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा 11 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित स्थान और समय पर वैसे साक्ष्य, जिस पर उस रिटर्न के समर्थन में आप निर्भर हों, प्रस्तुत करने या करवाने की अपेक्षा करता हूँ।

(ख) चूँकि आपने नीचे वर्णित अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है, मैं बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा 11 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार उक्त अवधि के लिए देय शुल्क के निर्धारण की इच्छा करता हूँ। तदनुसार एतद् द्वारा इस मामले में आपको निम्नलिखित स्थान और समय पर सुनवाई का अवसर दिया जाता है।

(ग) जहाँ तक जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई है, उससे मेरा समाधान हो गया है कि आप शुल्क भुगतान के दायी हैं किन्तु फिर भी आप रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देने में जानबूझकर विफल रहे हैं, मैं बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा 11 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार उक्त अवधि के लिए देय शुल्क के निर्धारण की इच्छा करता हूँ। तदनुसार एतद् द्वारा इस मामले में आपको निम्नलिखित स्थान और समय पर सुनवाई का अवसर दिया जाता है।

संदर्भित अवधि.....

प्राधिकार जिसके समक्ष उपस्थित होना है.....

सुनवाई का स्थान .....

सुनवाई की तिथि.....

सुनवाई का समय .....

प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित साक्ष्य .....

1. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 2018 की धारा 7 के अधीन संधारित लेखा पुस्त।

2. सत्यापित होने वाले अपेक्षित रिटर्न से संबंधित और उसके समर्थन में सभी अन्य दस्तावेज या संदर्भित अवधि के दौरान आपके द्वारा किये गये संव्यवहार।

3. .....(प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित कोई अन्य कागजात एवं दस्तावेज यहाँ निर्दिष्ट करें।)

(मुहर) हस्ताक्षर .....

तिथि पदनाम .....

<u>प्रपत्र– VII</u>
बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के अधीन मांग की सूचना
(नियम 12 देखे)

संख्या–..............................

तिथि–................................

राज्य कर .... का कार्यालय।

.... अंचल।

सेवा में,

....

....

निर्धारिती का नाम –

रजिस्ट्रीकरण संख्या –

पता –

(प्रपत्र–I में अद्यतन जानकारी के अनुसार पता निर्दिष्ट करें)

ई–मेल पता –

कृपया ध्यान दें कि चूँकि *नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के संबंध में आपके निर्धारण की कार्यवाही पूरी हो चुकी है *या नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के संबंध में अपील/पुनरीक्षण का निष्पादन किया जा चुका है, तदनुसार एतद् द्वारा आपको निम्नलिखित राशि सरकारी कोषागार में जमा करने हेतु निदेशित किया जाता है।

1. निष्पादन की तिथि ....
2. कार्यवाही की प्रकृति (निर्धारण/अपील/रिवीजन)
3. संदर्भित अवधि ....
4. मांग की राशि– रूपये ....

घटायें भुगतान की गई राशि– रूपये ....

शुद्ध माँग/अधिकाई– रूपये ....

(शब्दो में)...

5. भुगतान की अंतिम तिथि–

नोट :– नियत तिथि के बाद, व्यतिक्रम पर, राशि भू–राजस्व के बकाए के रूप में वसूल की जाएगी

तिथि .... हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

*जो लागू नहीं हो उसे काट दे।

प्रपत्र– VIII

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा 11 के अधीन अपील ज्ञापन
(नियम 13 (1) देखें)

सेवा में,

राज्य कर .....(अपील)
....प्रमण्डल

मैं..... (पूरा नाम), पुत्र ..... (पूरा नाम), ... द्वारा पारित आदेश दिनांक ..... के विरूद्ध एतद् द्वारा यह अपील दायर करता हूँ और इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित ब्यौरे पेश करता हूँ–

1. फर्म का नाम और अधिनाम .....
2. रजिस्ट्रीकरण संख्या .....
3. पता, जिसके नाम से सूचना सामान्य रूप से प्रेषित की जानी चाहिए.....

(क) मोहल्ला/सड़क

(ख) ग्राम/शहर (ग) डाकघर.....

(घ) पुलिस थाना..... (ड़) अनुमण्डल .....

(च) जिला ..... (छ) पिन कोड.....

(ज) ई–मेल पता ..... (झ) टेलिफोन नं०.....

(4) अवधि जिससे अपील का संबंध हो .....

(5) मांग नोटिस तामीला की तिथि .....

(6) टर्नओवर और निर्धारित शुल्क का ब्यौरा

(केवल पुनर्निधारण के विरूद्ध दायर अपील के मामले में उपलब्ध कराया जाएगा)

विशिष्टियाँ	करनिर्धारण प्राधिकार द्वारा यथा निर्धारित	अपीलार्थी द्वारा यथा स्वीकृत
1	2	3
(क) कुल टर्नओवर		
(ख) शुल्क योग्य टर्नओवर		
(ग) निर्धारित या पुनर्निधारित शुल्क की कुल राशि		
(घ) धारा जिसके अधीन निर्धारण या पुनर्निधारण किया गया		

7. अधिरोपित शास्ति की राशि, यदि कोई हो, और धारा जिसके अधीन वह अधिरोपित की गई हो––––––––––––––––।
8. किए गये भुगतान का ब्यौरा –

चालान संख्या	तिथि	राशि
1.	.....	.....
2.	.....	.....

9. विवादित राशि

(क) शुल्क, रूपये ..... (ख) शास्ति, रूपये .....

(ग) ब्याज, रूपये ..... (घ) कुल रूपये .....

10. कागजातों की सूची एवं दाखिल किये गए दस्तावेज

(क) जिस आदेश की विरूद्ध अपील की गई हो उसकी सत्यापित प्रति तथा उसके साथ माँग पत्र की प्रतिः–

(ख) इस ज्ञापन की दो अतिरिक्त प्रतियाँ,

(ग) .....

(घ) .....

(ड़) .....

(च) .....

11. मामले की तथ्य विवरणी और प्रार्थना

(क) मामले के तथ्य निम्नलिखित हैंः–

.....

.....

(ख) विवादित मुद्दे निम्नलिखित हैंः–

.....

.....

(ग) अपील के बिन्दु निम्नलिखित हैंः–

.....

.....

(घ) मांगी गई राहत निम्नलिखित हैंः–

.....

.....

सत्यापन

मै एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में उपर्युक्त ब्यौरे एवं विवरण सही और पूर्ण हैं।

स्थान..... हस्ताक्षर

तिथि ..... प्रास्थिति .....

पावती

दिनांक .....को अवधि .....के लिए .....से प्रपत्र VIII में अपील ज्ञापन, इसके मद सं० 10 में विनिर्दिष्ट कागजातों और दस्तावेजों के साथ/के बिना प्राप्त किया।

आवंटित अपील संख्या ..... वर्ष ..... है।

प्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम

प्रपत्र–IX

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा–12 के अधीन पुनरीक्षण हेतु आवेदन

(नियम 13(1) देखें)

वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के समक्ष।

मैं................................... (पूरा नाम), पुत्र .... (पूरा नाम), एतद् द्वारा दिनांक.................. को .... द्वारा पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु आवेदन दाखिल करता हूँ और इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करता हूँ–

1. फर्म का नाम और अधिनाम ....
2. रजिस्ट्रीकरण संख्या ....
3. निर्धारिती, जिसके नाम से सूचना सामान्य रूप से प्रेषित की जानी चाहिए –
   (क) मोहल्ला/सड़क......................
   (ख) ग्राम/शहर .... (ग) डाकघर............................
   (घ) पुलिस थाना............................... (ड़) अनुमण्डल ....
   (च) जिला .... (छ) पिन कोड.........................
   (ज) ई–मेल पता .... (झ) टेलिफोन नं०......................

(4) अवधि जिससे आवेदन का संबंध हो ....

(5) टर्नओवर और निर्धारित शुल्क का ब्यौरा ....

(केवल निर्धारण/पुनर्निधारण के विरूद्ध पुनरीक्षण हेतु दाखिल आवेदन के मामले में उपलब्ध कराया जाएगा)

विशिष्टियाँ	आवेदक द्वारा यथा स्वीकृत	कर निर्धारण प्राधिकार द्वारा यथा निर्धारित	अपील या पुनरीक्षण में यथा निर्धारित
1	2	3	4
(क) कुल टर्नओवर			
(ख) शुल्क योग्य टर्नओवर			
(ग) निर्धारित या पुनर्निधारित शुल्क की कुल राशि			
(घ) धारा जिसके अधीन पुनर्निधारण किया गया			

6. अधिरोपित शास्ति की राशि, यदि कोई हो एवं धारा जिसके अधीन वह अधिरोपित की गई हो
————————————————————————————————————

7. किए गये भुगतान का ब्यौरा :–

चालान संख्या	तिथि	राशि
1.	....	....
2.	....	....

8. विवादित राशि

(क) शुल्क, रूपये .... (ख) शास्ति, रूपये ....

(ग) ब्याज, रूपये .... (घ) कुल रूपये ....

9. दाखिल किये गये कागजातों एवं दस्तावेजों की सूची:–
   (क) इस आवेदन के साथ भुगतेय फी जमा दर्शाने वाला चालान संख्या–.............. तिथि–.................................
   (ख) जिस अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश के विरूद्ध आवदेन दिया गया हो उस आदेश की सत्यापित प्रति।

(ग) मूल चरण, अपीलीय चरण तथा पूर्ववर्त्ती पुनरीक्षण चरण या चरणों में अंतिम आदेशों की सत्य टंकित प्रतियॉ, यदि कोई हो।

(घ) इस आवेदन की दो अतिरिक्त प्रतियॉ।

10. मामले की तथ्य विवरणी एवं प्रार्थनाः–

(क) मामले के तथ्य निम्नलिखित हैं :–

.....

.....

....

(ख) विवादित मुद्दे निम्नवत् हैं :–

.....

.....

....

(ग) पुनरीक्षण का आधार निम्नवत् हैः–

.....

.....

....

(घ) मांगी गई राहत निम्नवत् है :–

.....

.....

....

सत्यापन

मै एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में उपर्युक्त ब्यौरे एवं विवरण सही और पूर्ण हैं।

स्थान– आवेदक का हस्ताक्षर

तिथि– प्रास्थिति–.....

पावती

दिनांक .....को अवधि .....के लिए .....से प्रपत्र IX में पुनरीक्षण आवेदन, इसके मद सं० 9 में विनिर्दिष्ट कागजातों और दस्तावेजों के साथ/के बिना प्राप्त किया।

आवंटित पुनरीक्षण संख्या ..... वर्ष ..... है।

प्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम

प्रपत्र–X

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा–13 के अधीन पुनरीक्षण की सूचना

(नियम 15 देखें)

संख्या–.....

तिथि–.....

राज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना का कार्यालय।

सेवा में,

मेसर्स.....

.....

चूंकि यह विश्वास करने का कारण है कि नीचे उल्लेखित मामले में पारित आदेश प्रथम द्रष्टया गलत प्रतीत होता है, इसलिए एतद् द्वारा आपको निम्नलिखित तिथि, समय और स्थान पर कारण दर्शाने का अवसर दिया जाता है कि क्यों नही उक्त आदेश का पुनरीक्षण किया जाय।

संदर्भित मामला–.....

.....

...

संदर्भित अवधि–.....

.....

...

तिथि–..... हस्ताक्षर–.....

समय–..... पदनाम–.....

स्थान–..... कार्यालय का मुहर–

प्रपत्र – XI

संदत्त अधिक शुल्क के समायोजन/प्रतिदाय का आदेश।

(नियम 17 देखें)

बुक संख्या –

क्रम संख्या–

अंचल का नाम –

सेवा में,

नाम– .....
पूरा पता – .....
रजिस्ट्रीकरण संख्या – .....

विषयः– शुल्क समायोजन/प्रतिदाय।

चूँकि आपके द्वारा जमा किये गये रू०..... की राशि का सत्यापन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया है और चूँकि यह पाया गया है कि संलग्न कर निर्धारण आदेश के अनुसार अधिक भुगतान के रूप में रूपये ..... राशि का दावा किया गया है, इसलिए

(क) एतद् द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि उक्त राशि का समायोजन आपके द्वारा आगामी माहों में दिए जाने वाले शुल्क मद्दे किया जाएगा। आप इस आदेश की प्रति सम्यक् रूप से संलग्न करते हुए आगामी माहों के लिए अपना रिटर्न दाखिल करते समय उक्त राशि की कटौती कर सकते है।

(ख) रूपये ..... की राशि इस कार्यालय के पत्रांक..... दिनांक ..... द्वारा चेक संख्या ..... दिनांक .....संलग्न करते हुए आपके प्रतिष्ठापन, जिसका ब्यौरा उपर है, से शुल्क के अंतिम निपटारा के रूप में आपको वापस की जाती है।

स्थान.....

तिथि .....

हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

संलग्नः– निर्धारण आदेश की प्रति।

प्रपत्र–XII

(नियम 22 का उपनियम (1) देखे)

उद्देश्य, जिसके लिए विद्युत की खपत हुई है:

उपभोक्ता का नाम जिसे विद्युत आपूर्ति की जाती है.....

.

पता–.....

..

आर० आर० संख्या–.....

उर्जा मीटर : मेक, कैपेसिटी, वर्ग, क्रमांक–.....

..

सी०टी०: मेक, कैपेसिटी, वर्ग, क्रमांक–.....

.

पी०टी० : मेक, कैपेसिटी, वर्ग, क्रमांक–.....

.

प्रति यूनिट शुल्क दर.....

.....

क्रमांक	माह एवं वर्ष	उर्जा मीटर रीडिंग	उपभोग	आरंभिक शेष		मांग		योग		संग्रहण		अंतिम शेष		भुगतान नही करने पर असंबद्ध की तिथि के साथ अभ्युक्ति।
				विद्युत चार्ज	शुल्क	विद्युत चार्ज	शुल्क	विद्युत चार्ज	शुल्क	विद्युत चार्ज	शुल्क	विद्युत चार्ज	शुल्क	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अप्रील													
2	मई													
3	जून													
4	जुलाई													
5	अगस्त													
6	सितम्बर													
7	अक्टूबर													
8	नवम्बर													
9	दिसम्बर													
10	जनवरी													
11	फरवरी													
12	मार्च													

प्रपत्र–XIII

(नियम 22 का उपनियम (2) देंखे)

उत्पादन का स्थान–.....

उत्पादन/प्रतिष्ठापित जेनरेटर के नेम प्लेट का ब्यौरा–.....

उर्जा मीटरः मेक, कैपेसिटी, वर्ग, क्रमांक–.....

सी०टी०: मेक, कैपेसिटी, वर्ग, क्रमांक–.....

पी०टी० : मेक, कैपेसिटी, वर्ग, क्रमांक–.....

नोट–.....

(1) उत्पादन–

क्रमांक	माह	जेनरेटर–1		जेनरेटर–2		जेनरेटर–3		उत्पादित कुल यूनिट	
		उर्जा मीटर रीडिंग	उत्पादित यूनिट	उर्जा मीटर रीडिंग	उत्पादित यूनिट	उर्जा मीटर रीडिंग	उत्पादित यूनिट	कुल उत्पादित (4+6+8.....)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

नोट :– अंतिम माह और वर्त्तमान माह के बीच के पठन में अंतर उस माह का कुल उत्पादन होगा।

(2) सहायक उपभोगः

उर्जा मीटरः मेक, कैपेसिटी, वर्ग, क्रमांक–.....

सी०टी०: मेक, कैपेसिटी, वर्ग, क्रमांक–.....

पी०टी० : मेक, कैपेसिटी, वर्ग, क्रमांक–.....

क्रमांक	माह	जेनरेटर–1		जेनरेटर–2		जेनरेटर–3		उत्पादित कुल यूनिट	शुल्क/यूनिट दर	भुगतेय शुल्क	संदत्त शुल्क	भुगतान का ब्यौरा	अभ्युक्ति
		उर्जा मीटर यूनिट	उपभुक्त यूनिट	उर्जा मीटर रीडिंग	उपभुक्त यूनिट	उर्जा मीटर रीडिंग	उपभुक्त यूनिट	कुल उत्पादित (4+6+8....)	अभ्युक्ति				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													

[(सं०सं० बिक्री–कर/विविध–35/2018–1652]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

11 सितम्बर 2020

एस०ओ० 164, दिनांक 11 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री–कर/विविध–35/2018–1652]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 11th September 2020

S.O 164 dated 11th September 2020—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018 (Bihar Act 04 of 2018), the Governor of Bihar, is pleased to make the following rules, namely:-

1. ***Title, extent and Commencement*** .—

(1) These rules may be called the Bihar Electricity Duty Rules, 2020.

(2) It shall extend to whole state of Bihar.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. ***Definitions***.–*(1) In these rules, unless, there is anything repugnant to the subject or context –*

(a) "***The Act***" means the Bihar Electricity Duty Act, 2018;

(b) "***Assessee***" means a licensee or any other person who is liable to pay duty under the Act and includes a "dealer" specified in sections 12, 13, 14 and 15 of the Act;

(c) "***Assessing officer***" includes an officer under sub-section (1) of Section 8 of the Act;

(d) "Circle means a unit of Commercial Taxes administration created under the relevant provisions of Commercial Taxes Law or Goods and Services Tax Law of the State of Bihar for the time being in force;

(e) "***Duty***" means electricity duty payable under the Bihar Electricity Duty Act, 2018 and any reference to "tax" in the Explanation to sub-section (2) of section 12 or in the proviso to section 14 of the said Act shall be construed as a reference to "duty";

(f) "***Form***" means a Form appended to these rules;

(g) "***Government Treasury***", in relation to an assessee, means the Treasury or sub-treasury specified in the certificate of registration granted to him under rule 4;

(h) '***Inspecting Authority***' includes an Officer under sub-section (1) of Section8 of the Act;

(i) "***Meter***" means an appliance or apparatus used for measuring the quantum of energy consumed;

(j) '***Section***' means section of the Act.

(2) all other words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning assigned to them in the Act or Indian Electricity Act, 2003 and Rules framed thereunder.

3. ***Application for registration***.—

(1) Every person liable to pay duty in accordance with the provisions of section 6 shall be granted a certificate of registration in the manner here in after provided.

Explanation.-For the purposes of this sub-rule, the expression "person" shall not include a person who, on the date of publication of these rules, was registered in accordance with the provisions of Chapter II of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), every person holding a valid certificate of registration, granted under rule 4 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949, on the date of publication of these rules shall be deemed to be registered for the purposes of the Act.

(3) (a) Every person liable to pay duty in accordance with the provisions of section 6, other than a person to whom sub-rule (2) applies, shall apply for grant of registration and every such application shall be filed electronically on the official website of the Commercial Taxes Department, Bihar, Patna.

(b) The application for registration referred to in clause (a) shall be in **Form I** and shall be filed to the Officer-in-charge of the Circle within whose Jurisdiction the place of business of the assessee is located, within thirty days of his incurring liability to pay duty under the Act or within thirty days of the date of the publication of these rules in the official Gazette or of the date of engagement in the business of generating or supplying energy or the date of generating or consuming energy by such assessee, whichever is later.

(4) The provisions of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 regarding disposal of an application for registration shall apply *mutatis mutandis* to an application made under sub-rule (3).

4. ***Grant of certificate of registration.—***

(1) When the officer-in-charge of the Circle, after making such enquiry as he considers necessary, is satisfied that the applicant has given all the required information and that be application is in order, he shall register the applicant and grant him a certificate of registration in **Form II** within three days from the date of receipt of the application, which shall be made available to the applicant on the official website of the Commercial Taxes Department. Where, within three days from the date of receipt of an application, the application for registration has not been approved or rejected the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.

(2) The other provisions of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 regarding grant of registration shall apply *mutatis mutandis* to grant of registration under sub-rule (1).

5. ***Amendment and cancellation of registration.*** **–**(1) If any assessee –

(a) discontinues to generate or distribute energy; or

(b) installs a new plant or makes any extension of the existing plant which is likely to result in the increased production of energy; or

(c) sells or otherwise disposes of his business or any part of his business or effects any other change in the ownership, name or style of business;

he, or if he is dead, his legal representative, shall within a period of thirty days of such discontinuance, installation, extension, sale or change, submit a report to that effect to the authority referred to in rule 3.

(2) (a) Where, a report under sub-rule (1) or information received otherwise, necessitates amendment of the information furnished in **Form I** by an assessee, the authority referred to in rule 3, shall after making such enquiry as he thinks fit, amend the certificate of registrations and the provisions of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 regarding amendment of registration shall apply *mutatis mutandis* to such amendment..

(b) When the authority referred to in rule 3, receives an application for the cancellation of a certificate of registration, or is otherwise satisfied that the registration certificate of an assessee should be cancelled, he shall, after making such enquiry as he thinks fit, and, on payment of duty by the assessee, due from him, by order, cancel the certificate with effect from the date specified in the order and the provisions of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 regarding cancellation of registration shall apply *mutatis mutandis* to such cancellation.

6. ***Payment of duty***.— Every assessee shall pay the full amount of duty due from him in respect of every month on or before the fifteenth day of the following month.

7. ***Method of payment***.— Any duty or interest or penalty or fee under the Act shall be paid by challan in **Form III** in the manner specified in rule 27 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005**.**

8. ***Special mode of recovery***.— The authority appointed under the Act shall, in the matter of a proceeding under sub-section (1) of Section 18, serve upon any person or a registered licensee a notice in **Form –IV**.

9. ***Submission of Returns*** **–**

(1) Every registered assessee shall, in respect of every calendar month, submit to the authority referred to in rule 3,a return in **Form V,** within twenty-six days from the expiry of the month to which the return relates, electronically through the official website of the Commercial Taxes Department. The return shall be verified in the manner indicated therein and shall be signed by the assessee or by his authorized agent. When an assessee holds more than one license, separate returns shall be submitted in respect of each license.

(2) If an assessee, having furnished a monthly return under sub-rule (1), discovers any omission or wrong statement therein, he may furnish a revised monthly return in the **Form V-A** at any time before the 31st day of December of the year following the year to which such return relates:
Provided that no such return shall be taken into consideration if, upon information received by the authority referred to in rule 3, or otherwise, and for reasons to be recorded in writing, the said authority is satisfied that the return originally furnished was deliberately false or that it was furnished with intention to defraud the State Government of its revenue.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-Rule (1), where an assessee is registered in more than one circle, the Commissioner may, by order in writing, direct that such assessee shall, instead of submitting separate returns in **Form V** in respect of each such circle, submit the same to such authority appointed under the Act, as may be specified in the order and may, likewise, vary, modify, or annul such order.

(4) The assessee in respect of whom an order has been passed under sub-rule (3) shall, for the purposes of the Act or these rules, be deemed to be an assessee of the circle in which he has been permitted to submit the returns under sub-rule (3).

10. ***Rebate***.— An assessee who submits the return and deposits the amount of duty payable according to such return in the prescribed manner and within the prescribed time shall be allowed a rebate at the rate of half percentum on the amount of duty payable subject to maximum of fifty thousand rupess in a year and the assessee may while making the payment deduct the amount of rebate admissible under this rule from the amount of duty payable by him.

11. ***Assessment***.—

(1) If the Assessing Officer is satisfied without requiring the presence of the assessee or production by him of any evidence that the return furnished in respect of any period is correct and complete, he shall assess the amount of duty due from the assessee on the basis of such return.

(2) If the Assessing officer, is not satisfied without requiring the presence of the assessee or production of evidence that the return furnished in respect of any period is correct and complete, he shall serve a notice in **Form VI** on such assessee requiring him, on a date and at a place to be specified therein, either to attend in person or to produce or cause to be produced any evidence on which the assessee may rely in support of such a return.

(3) On the date specified in the notice or as soon afterwards, as may be, the Assessing officer after hearing such evidence as the assessee may produce and such other evidence as the Assessing officer may require on any specified point or points, shall assess the amount of duty due from the assessee.

(4) If the assessee fails to make a return or, having made the returns, fails to comply with all the terms of the notice issued under sub-rule (2) or to produce any evidence required under sub-rule (3), the Assessing officer, shall, after giving the assessee a reasonable opportunity of being heard, assess to the best of his judgment, the amount of duty, if any, due from the assessee.

12. ***Notice of demand.—*** If any sum is payable by an assessee under the provisions of the Act, the Assessing officer shall serve a notice in **Form VII** requiring such assessee to pay the said sum and produce a copy of the challan evidencing any payment made by him towards such sum on or before such date as may be specified in the said notice. This notice shall also be served in case of excess payment made by assessee.

13. ***Memorandum of appeal and application for revision*** .— (1) An appeal against an order of assessment, with or without penalty shall lie to the Appellate Authority specified under the Bihar Goods and Service Tax Rules, 2017. Every appeal shall be in **Form-VIII** and an application for revision shall be **Form-IX** and shall-

(a) specify the name, address and e-mail address of the appellant/applicant;
(b) specify the date of order against which it is made;
(c) specify the date on which order was communicated to the appellant or applicant;
(d) contain a clear statement of facts;
(e) specify the grounds on which appeal or revision is preferred without any argument or narration and numbered consecutively;
(f) state precisely the relief prayed for; and
(g) be signed and verified by the appellant or applicant or an agent duly authorized by him in writing in this behalf in the following Form, namely:

I..... the appellant/applicant named in the above memorandum of appeal/ application for revision do hereby declare that what is stated therein is true to the best of my knowledge and belief.

(2) The memorandum of appeal or application for revision, as the case may be, shall be accompanied by:
(i) A certified copy of the impugned order; and
(ii) a copy of the challan in **Form-III** as a proof of the payment of the amount of duty in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 11.

(3) The memorandum of appeal shall be in duplicate and shall be presented to the appellate or revisional authority either by hand or by registered post.

14. ***Disposal of appeal or application for revision.***—

(1) If a memorandum of appeal or an application for revision does not comply with all the requirements of Rule 13, the appellate may reject it summarily:
Provided that no appeal or application for revision shall be summarily rejected under this sub-rule unless the appellant or applicant has been given a reasonable opportunity to amend the memorandum or application so as to bring it into conformity with all the requirements of Rule 13.

(2) An appeal or application for revision may be summarily rejected on other reasonable ground after giving the appellant or applicant a reasonable opportunity of being heard.

(3) The Appellate Authority or revisional authority, as the case may be, shall, ordinarily within thirty days of the presentation of the appeal or revision, either admit or reject it after proper examination of the impugned order and/or the record relating to such order:
Provided that no order rejecting the appeal or the revision, as the case may be, shall be passed without giving the appellant or the applicant a reasonable opportunity of being heard.

(4) (a) If an appellant or applicant intends to pray for stay of recovery of the disputed amount of duty, penalty or interest arising out of an order appealed against or sought to be revised, as the case may be, he shall make a stay petition containing, inter-alia, substance of facts leading to the exact amount of duty, penalty or interest sought to be stayed and the exact amount of duty, penalty or interest disputed, payment of duty before and after the said order and reasons in brief for seeking stay and the stay petition shall be presented along with the memorandum of appeal or application for revision under Rule 13 but in no case later than a period of fifteen days from the date of filling of the appeal or the revision.

(b) Where a stay petition has been presented along with the memorandum of appeal or along with application for revision before the appellate authority or the revisional authority, as the case may be, and such appeal or revision has been entertained, he shall, after giving such appellant a reasonable opportunity of being heard, dispose of such stay petition within one month from the date of presentation of such petition.

(c) The appellate or the revisional authority, as the case may be, may, in his discretion, by an order in writing, stay realisation of the amount of duty, penalty or interest, part or whole, as the case may be, in dispute, on such terms and conditions as he may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

(d) If the realisation of the amount of duty, penalty or interest is stayed by the appellate or revisional authority subject to payment of such amount of duty, penalty or interest, or furnishing security for securing the payment of the amount of duty, penalty or interest in dispute, as the case may be, specified in the order referred to in clause (c), the appellant or applicant shall pay such amount of duty, penalty or interest, or furnish such security, by the date specified in such order.

(e) Where an appellant or applicant fails to pay any amount of duty, penalty or interest in dispute or fails to furnish security which he is required to pay or furnish according to the order referred to in clause (c) by the date specified therein or such other date as may be allowed by the appellate or revisional authority, such order staying realization of the amount of tax, or interest, as the case may be, shall stand automatically vacated after the expiry of the date specified in the order or such other date as may be allowed by the appellate or revisional authority.

(5) Where an appeal or application for revision is admitted for hearing on merit the appellate or revisional authority shall, after giving the parties concerned a reasonable opportunity of being heard, fix a date for passing the final order on the appeal or application for revision, as the case may be, if the order is not passed on the date of hearing.

15. ***Revision by Commissioner***.— For the purpose of Section 13, the Commissioner may require any assessee, by notice in **Form-X,** to produce or cause to be produced before him such documents, accounts or other evidence which may be deemed fit.

16. ***Review***.—

(1) When any authority appointed under the Act, reviews under Section 14 any order passed under the Act, it shall record reasons for doing so.

(2) Save with the previous sanction of the Commissioner or an authority specially authorized by him in this behalf, no authority appointed under the Act other than the Commissioner, shall review any such order except before the expiry of twenty four months from the date of passing of the order which is sought to be reviewed.

(3) Save with the previous sanction of the Commissioner or an authority specially authorized by him in this behalf, no authority appointed under the Act other than the Commissioner, shall review any order, which has been passed by any of its predecessors in office.

17. ***Refund***.—

(1) If any amount has been paid by a assessee in excess of the amount finally determined as payable by such assessee and in respect of which a notice of excess has been served on him under rule 12, he shall file an application for refund of such excess amount before incharge of concerned circle within twelve months from the date of service of the aforesaid notice.

(2) The Officer-in-charge of the Circle shall be the competent authority for making refund of an amount upto Rs. 25000/- and the Additional Commissioner of State tax (Administration) of the concerned Division shall be the competent officer for making refund of an amount exceeding Rs. 25000/-

(3) The authority competent for making refund under sub-rule (2) may-

(a) order for refund by adjustment of the amount against any amount payable by the assessee for any other period, or

(b) order for refund in cash, if any amount is not payable by the assessee.

(4) An order for refund by adjustment or refund in cash shall be in **Form- XI** and shall be delivered to the assessee or his authorised representative and a copy of the refund payment order shall also be forwarded simultaneously to the Treasury concerned..

18. ***Power to enter premises and seize papers***.— An Inspecting authority may, for carrying out the purpose of the Act, or these rules, within the local limits of his Jurisdiction –

(a) enter any premises which is used for generating or distributing energy or which contains any meter or other mechanical apparatus or any device or any written record, register and accounts relating to the generation, distribution, sale or consumption of energy and it shall be the duty of the person in-charge of such premises to give the Inspecting authority facilities in discharging his function;

(b) call for from require any assessee to produce or causes to be produced before him any apparatus, device, accounts or documents relevant to the generation, distribution, sale or consumption of energy;

(c) seize any apparatus, device, accounts, registers or documents or other records of the assessee, if there is good reason to believe that any assessee is attempting to evade the payment of any duty payable by him under the Act:

Provided that whenever any apparatus, device, accounts, registers, documents or records are seized, a receipt, shall be granted to the assessee for the same and the seized apparatus, device, accounts, registers, documents or records shall be retained only for so long as may be necessary for examination thereof, or for purposes of any prosecution.

(d) issue from time to time instructions to assessees for the proper maintenance of registers and books of accounts showing generation, distribution, sale or consumption of energy; and it shall be the duty of the assessee to carry out all such instructions.

19. ***Reading of meters.—*** A licensee shall in respect of energy liable to duty under the Act, cause the meter of every consumer to be read as far as possible on the same date in each month and maintain a record of the units of energy consumed in the month. The period between two such consecutive readings shall be reckoned as one month for the purpose of calculation of duty and submission of returns under rule 9.

20. ***Provision of meters.—*** Every assessee shall install and maintain separate, suitable and correct meters or sub-meters to register the quantities of energy generated, distributed, sold or consumed by him and shall likewise, cause meters to be installed and maintained in the premises of consumers for the correct registration of the quantities of energy consumed by such consumers:

Provided that where there is a combined meter for registering the quantities of energy, part of which is dutiable at any rate or at different rates and part is exempt, the assessee shall cause separate meters to be installed for registering the quantities of the different types of consumption separately:

Provided further that if any assessee satisfies the inspecting authority that the installation and maintenance of such separate meters or sub-meters involve costs disproportionate to the amount of the duty leviable from him and furnishes to the inspecting authority such data as, are in the opinion of the inspecting authority necessary for the assessment of the said duty he may assess the duty payable and exempt such assessee from the requirement of this rule. An assessee exempted under this proviso shall communicate to the inspecting authority, within 30 days any change in the data on the basis of which the duty payable by him was assessed.

21. ***Affixation of Seal.—*** An Inspecting authority or any other person deputed by him for the purpose may affix one or more seal or seals to any meter or sub-meter installed for the purpose of Rule 21 by any person, other than a licensee who generates energy for his own use or for the use of his employees.

22. ***Books of accounts***.—

(1) The books of account to be kept by a licensee under section 7 of the Act shall be in **Form-XII** and shall contain the following particulars, namely :-

(a) number of units of electricity belonging to him, and belonging to others if any supplied for different classes of consumers specified in the notification under section 3 of the Act.

(b) description of the premises to which the electricity is supplied.

(c) amount of electricity duty with the rate of charge collected and not collected and not shown separately in respect of the different classes of consumers; and

(d) date of disconnecting the supply of electricity on failure of payment of electricity duty:

that the licensee may furnish particulars specified in clause (b) above in a separate statement to the satisfaction of the Inspecting authority .

(2) The books of account to be kept by a non-licensee under section 7 shall be in **Form-XIII** and contain the following particulars, namely :-

(i) place of generation of electricity and total units of electricity generated;

(ii) number of units of electricity consumed for auxiliary consumption and the duty payable thereon;

(iii) number of units of electricity supplied by him to others;

(a) through licensees grid;

(b) through dedicated transmission lines; and

the amount of duty payable and recovered thereon.

(3) The books of accounts to be kept by a licensee or a non licensee under section 7 of the Act shall be maintained up-to-date in a register for a period of not less than five years from the end of the year to which they relate, or for a period of two years after the completion of assessment, appeal or revision for the year, whichever is later.

23. ***Application of certain rules of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005.—***The relevant rules of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, and provisions thereof, shall *mutatis mutandis* apply in respect of all such procedural and other matters incidental to carrying out the purposes of the Act for which no provision or, as the case may be, insufficient provision has been made in these Rules.

24. ***Punishment***.—Any person contravening any provision of these rules, shall be, punishable with fine which may extend to five thousand rupees.

25. ***Manual filing and processing.—*** Notwithstanding anything contained in these rules, in respect of any process or procedure prescribed herein, any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, order or certificate shall, in respect of that process or procedure, include manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such Forms as appended to these rules.

FORM I

APPLICATION FOR REGISTRATION.

(See Rule 3)

To,

The …….

……. Circle.

I……. (full name), S/o …….(full name) hereby apply for the grant of a registration certificate under rule- 3 of Bihar Electricity Duty Rules, 2020 and furnish following particular for that purpose-

1. Dealer/assesee/licensee Details	
a. Name of Applicant	
b. Applicant's Father Name	
c. Email Id	
d. Mobile No	
e. Permanent Account Number (PAN)	
2. Name of Business (Dealer/ Assesee/licensee)	
3. Legal Status of Business (proprietorship/partnership/private limited company/HUF/association of persons/others)	
4. a. Incharge Name	
b. Incharge Designation	
5. Nature of Business(State whether generation/distribution/consumption or any of these)	
6. Date of liability to pay electricity duty	
7. Location of Generating Plant	
a. Room/Block/Flat No	
b. Building Name	
c. Munucipality	
d. Street Name	
e. Area/Locality	
f. Village/ Town/City/ Block	
g. District	
h. State	
i. PIN Code	
j. E-Mail Id	
k. Phone No.	
l. FAX No.	
8. Location of captive power Plant	
a. Building Name	
b. Munucipality	
c. Street Name	
d. Area/Locality	
e. Village/ Town/City/ Block	
f. District	
g. State	
h. PIN Code	
9. Location of Distributing Plant	
a. Room/Block/Flat No	
b. Building Name	
c. Munucipality	
d. Street Name	
e. Area/Locality	
f. Village/ Town/City/ Block	
g. District	
h. State	

i. PIN Code	
j. E-Mail Id	
k. Phone No.	
l. FAX No.	
10. Address for Communication	
a. Room/Block/Flat No	
b. Building Name	
c. Munucipality	
d. Street Name	
e. Area/Locality	
f. Village/ Town/City/ Block	
g. District	
h. State	
i. PIN Code	
j. E-Mail Id	
k. Phone No.	
l. FAX No.	
11. List of Generating and/or Distribution places for which assessee holds license	
Name in whose license held	
Place with complete address	
(Add rows if required)	
12. Books of accounts ordinarily maintained	
13. Total units generated during the previous year	
Remarks	
14. Particular of the proprietor/partners/directors/Karta/Trustees/Members of the governing body/authorized signatory	
Particulars	
Full name, parentage and address	

I declare that the above statements are true and complete to the best of my knowledge and belief.

Date **Signature**

Place **Designation**

FORM ll

CERTIFICATE OF REGISTRATION.

(See Rule-4)

Office of the ..... of State Tax,

.....Circle

This is to certify that the assessee, whose particulars are detailed below, has been registered under Rule 4 of the Bihar Electricity Duty Rules, 2020, on the .....(date) . He is liable to pay duty for distribution of energy for consumption and/or consumption of energy with effect from……(date)

1. Name of the assessee-

2. Name of the person (incharge of management)-

3. Registration No.

4. Nature of business-

5. Location of generating/captive power plant/distributing plant.-

6. Name of the Treasury where the duty is to be deposited.-

Place ..... Signature.....

Date ..... Designation .....

Seal of the Office

FORM-III

Challan under the Bihar Electricity Duty Act, 2018

[See Rule 7]

Serial Number .....

Treasury .....

Name of the Bank .....

Branch Code .....

Major Head : Electricity Duty

Minor Head

Challan of Amount paid to the Bank .....

For the Month/Quarter/Year .....

Name of the Circle to which the payment relates .....

By whom Tendered: .....

Tendered on behalf of: .....

Registration No. .....

Payment on Account of	Amount
• Admitted Duty	
• Assessed/Re-assessed Duty	
• Interest	
• Penalty/Fine	
• Fees	
• Appeal Fee	
• Revision Fee	
• Miscellaneous	
Total	

Rupees ..... (in words).

Signature of Licensee/depositor .....

Form -IV

Notice of Demand under Section 18 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018
[See rule 8]

No. .....
Date .....

Office of the ..... of State Tax,

.....Circle

To,

.....

.....

Whereas a sum of Rs .....on account of duty due and/or penalty imposed and/or interest payable under the Bihar Electricity Duty Act, 2018 payable by.....
(Assessee under the Bihar Electricity Duty Act, 2018) bearing Registration No. ..... who has failed to make payment of such amount; and

Whereas money is due or may become due to the said dealer from you; or you hold or may subsequently hold money for/or on account of the said dealer;

You are hereby required under section 18 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018 to pay into the Government Treasury/ Bank by…….. (date) any amount due from you to or held by you for or on account of the said dealer up to the amount of arrears shown above;

You are further required to pay into the said Government Treasury/Bank any money, which may subsequently become due from you to the said dealer, up to the amount of arrears still remaining unpaid, forthwith on the money becoming due or being held by you.

Please note that any payment made by you in compliance with this notice will be deemed under section 18(3) of the Bihar Electricity Duty Act, 2018 to have been made under authority of the dealer and the receipt from the Government Treasury/ Bank will constitute a good and sufficient discharge of your liability to the said dealer to the extent of the amount specified in the receipt.

Please also note that if you discharge any liability to the dealer after receipt of this notice, you will be personally liable to the State Government under section 18(6) of the said Act to the extent of the liability discharged, or to the extent of the liability of the dealer for duty and/or penalty or interest, whichever is less.

Please note further that the amount of money, which you are required to pay in pursuance of this notice or for which you are personally liable to the State Government as above, mentioned, shall, if it remains unpaid, be recoverable as an arrear of land revenue under section 18(5) of the Act.

Necessary challan for depositing the money to the credit of Government in the said Treasury/Bank is enclosed herewith.

A copy of this notice is being sent to ..... (dealer).

Place ..... Signature.....

Date ..... Designation .....

Seal of the Office

Memo No. ..... Dated .....

Office of the ..... of State Tax.....Circle

To,

Copy to M/s ..... (dealer).

Signature .....

Designation .....

Form V

Monthly Return showing the units of Electricity Supplied, Electricity Duty recovered thereon and paid to Government

[See Rule 9(1)]

Name of the Assessee:
Address:
Registration Number:
Month:
Year:

(Amount in Rs.)

Sl.No.	-Tariff Category*	No. Of consumers in the category	Gross Consumption charges	Exempted Consumption charges u/s 3(2)	Net Consumption charges (4-5)	Rate of Duty (%)	Electricity Duty on net dutiable charge (6x7)	Rebate under Section 6(7) and Rule 10	Amount after Rebate (8-9)	Transfers to disconnected ledgers	Recoveries from disconnected consumers	Net Duty (10-11+12)	Details of amount of Duty paid to Treasury	Details of Challan No. Date	Remarks if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Total															

I declare that the above statement/particulars are true and complete to the best of my knowledge and belief.

Signature :

Date:
Place:

Status :

* Tariff category :

1. Part A- Residential

2. Part B- Commercial

3. Part C- Agricultural

4. Part D- Temporary

5. Part E- Advertisements and Hoardings

6. Part F- Industrial

7. Part H- Mono and Metro Rail

Form V-A

Revised Monthly Return showing the units of Electricity Supplied, Electricity Duty recovered thereon and paid to Government

[See Rule 9(3)]

Name of the Assessee:
Address:
Registration Number:
Month:
Year:
Original Return furnished on:

(Amount in Rs.)

Sl.No.	-Tariff Category*	No. Of consumers in the category	Gross Consumption charges	Exempted Consumption charges u/s 3(2)	Net Consumption charges (4-5)	Rate of Duty (%)	Electricity Duty on net dutiable charge (6x7)	Rebate under Section 6(7) and Rule 10	Amount after Rebate (8-9)	Transfers to disconnected ledgers	Recoveries from disconnected consumers	Net Duty (10-11+12)	Details of amount of Duty paid to Treasury	Details of Challan No. Date	Remarks if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Total															

I declare that the above statement/particular are true and complete to the best of my knowledge and belief.

Signature :

Date:
Place:

Status :

* Tariff category :
1. Part A- Residential
2. Part B- Commercial
3. Part C- Agricultural
4. Part D- Temporary
5. Part E- Advertisements and Hoardings
6. Part F- Industrial
7. Part H- Mono and Metro Rail

FORM- VI

Notice of Hearing under the Bihar Electricity Duty Act, 2018

(See Rule 11)

No. .....

Date .....

Office of the ..... of State Tax,

.....Circle

To,

_____

_____

Registration. No.

Address:

(specify address as per latest information in Form-I)

Email address :-

(a) Whereas I am not satisfied without requiring your presence or production of evidence that return (s) furnished by you for the period mentioned below is/are correct and complete, I hereby require you to attend in person to produce or cause to be produced evidence on which you may rely in support of such return (s) at the following place and time according to the provisions of sub-section (2) of section 11 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018.

(b) Whereas you have not furnished returns for the period mentioned below, I propose to assess the duty payable by you for the said period in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 11 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018. Accordingly, you are hereby given an opportunity of being heard in the matter at the following place and time.

(c) Whereas on information which has come to my possession I am satisfied that you are liable to pay duty but have nevertheless wilfully failed to apply for registration, I propose to assess the duty payable by you for the said period in accordance with the provisions of sub-section (4)of section 11 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018. Accordingly, you are hereby given an opportunity of being heard in the matter at the following place and time.

Period under reference.....

Authority before whom to appear .....

Place of hearing.....

Date of hearing.....

Time of hearing .....

Evidence required to be produced.-

1. Books of Accounts maintained under section 7 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018.
2. All other relevant documents and papers relating to and in support of the return required to be verified or transactions undertaken by you during the period under reference.
3…… *(Specify any other paper and document required to be produced)*

(Seal)

Date .....

Signature.....

Designation.....

FORM-VII

NOTICE OF DEMAND under the Bihar Electricity Duty Act, 2018
(See Rule 12)

No. .....
Date .....

Office of the ..... of State Tax,

.....Circle

To

Name of assessee.....

Registration. No.....

Address: .....
(specify address as per latest information in Form-I)
Email address ……..

Please take notice that whereas *your assessment proceeding in respect of the period specified below has been completed *or the appeal / revision in respect of the period specified below has been disposed of, and, accordingly, you are hereby directed to deposit the following amount in the Government Treasury .

1. (a) Date of disposal …….....

(b) Kind of proceeding *(specify whether assessment, appeal or revision)* .....

2. Period under reference -.....

3. Amount of demand - Rs.....

Less amount paid - Rs.....

Net demand/excess - Rs.....

(in words)

4. Last date of payment-

N.B.- On default after the due date the amount will be recovered as arrears of land revenue.

Signature :

Date..... **Designation :**

**Strikeout whichever is not applicable.*

Form VIII

Memorandum of Appeal under section 11 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018
[See rule 13(1)]

To,

The ..... of StateTaxes (Appeals)
.....Division.

I.....(full name), son of .... (full name) hereby prefer this appeal against the order, dated ..... passed by .... and furnish the following particulars for that purpose–

1. Name and style of Firm .....

2. Registration No.....

3. Address to which the communication should ordinarily be dispatched:

(a) Mohalla/Road ..... (b) Village/Town .....

(c) Post Office ..... (d) Police Station .....
(e) Sub-Division ..... (f) District .....

(g) Pin code ..... (h) Telephone .....

(i) E-mail Address .....

4. Period to which appeal relates .....

5. Date of service of demand notice .....

6. Details of Turnover and Duty Assessed

(To be furnished only in case of appeal against reassessment)

Particulars	**As determined by the Assessing Authority**	**As admitted by Appellant**
(1)	**(2)**	**(3)**
(a) Gross Turnover		
(b) Dutiable Turnover		
(c) Total Amount of Duty Assessed or Re-assessed		
(d) Section under which Assessment or Re-assessment made		

7. Amount of Penalty, if any, imposed and the section under which it was imposed
....

8. Details of payments made:

Challan Number	Date	Amount
1.....	....	.....
2	.....	.....

9. Amounts in dispute:

(a) Duty Rs. ..... (c) Interest Rs. .....

(b) Penalty Rs. ..... (d) **Total** Rs. .....

10. List of Papers and Documents filed:

(a) Certified copy of the order appealed against, together with the notice of demand.

(b) Two extra copies of this memorandum.

(c) .....

(d) .....

(e) .....

(f).....

11. Statement of facts of the case and prayer:

(a) The facts of the case are as follows -

.....
....

(b) The points at issue are as follows -

.....
.....

(c) Grounds of appeal are as follows -

.....
.....

(d) Relief sought is as follows -

.....
.....
.....

VERIFICATION

I do hereby declare that the above particulars and statements are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Place ..... Signature.....
Date ..... Status.....

ACKNOWLEDGEMENT

Received on ..... from ..... memorandum of appeal in Form VIII, for the period ..... together with/without the papers and documents specified at item 10 of the memorandum of appeal.

The appeal number allotted is ..... of ..... .

Signature of Receiving Authority .....

Designation .....

Form IX

Application for Revision under section 12 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018

[See rule 13(1)]

Before the Commercial Taxes Tribunal, Bihar, Patna

I ..... (full name), son of ..... (full name) hereby prefer this application for revision of the order dated ..... passed by .... and furnish the following particulars for that purpose –

1. Name and style of the business .....
.....

2. Registration Number .....

3. Address to which the communication should ordinarily be dispatched:

(a) Mohalla/Road ..... (b) Village/Town .....

(c) Post Office ..... (d) Police Station .....

(e) Sub-Division ..... (f) District .....

(g) Pincode ..... (h) Telephone .....

(i) E-mail Address .....

4. Period to which the application relates .....

5. Details of Turnover and Duty Assessed

(To be furnished only in case of an application for revision concerning an assessment/re-assessment)

Particulars	As admitted by the Applicant	As determined by Assessing Authority	As determined in appeal or revision
(1)	(2)	(3)	(4)
(a) Gross Turnover			
(b) Duty leviable Turnover			
(c) Total Amount of Duty Re-assessed			
(d) Section under which Re-assessment made			

6. Amount of Penalty, if any, imposed and the section under which it was imposed
.....

7. Details of payments made:

Challan Number	Date	Amount
1.	....	.....
2.	....	.....

8. Amounts in dispute:

(a) Duty Rs. ..... (c) Interest Rs. .....

(b) Penalty Rs. ..... (d) **Total** Rs. .....

9. List of Papers and Documents filed:

(a) Challan No. ..... dated ..... showing deposit of fee payable on this application.

(b) Certified copy of the appellate/re-visional order against which this application has been preferred.

(c) True-typed copies of the final orders at the original stage, appellate stage and the preceding revisional stage or stages, if any.

(d) Two extra copies of this application.

10. Statement of facts of the case and prayer:

(a) The facts of the case are as follows -

.....
.....
.....

(b) The points at issue are as follows -

.....
.....
.....

(c) The grounds for revision are as follows -

.....
.....

(d) The relief sought is as follows -

.....
.....
.....
.....

VERIFICATION

I do hereby declare that the above particulars and statements are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Place ..... Signature of Applicant.....
Date ..... Status .....

ACKNOWLEDGEMENT

Received on ..... from .....an application for revision in Form IX, for the period ..... together with/without the papers and documents specified at item 9 of the application.

The revision number allotted is ..... of ..... .

Signature of Receiving Authority .....

Designation ....

Form-X

Notice of Revision under section 13 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018
[See rule 15]

No. .....
Date .....

OFFICE OF THE COMMISSIONER, STATE TAXES, BIHAR, PATNA

To,

M/s ....

.....

Whereas there are reasons to believe that order passed in the case mentioned below prima facie appears to be erroneous, you are, hereby given an opportunity to show cause at the following date, time and place why the said order should not be revised.

Case under reference .....
.....

.....

Period under reference
.....

Date ..... Signature .....

Time ..... Designation .....

Place ..... **Seal of the Office**

FORM XI

ORDER OF Adjustment/Refund of the excess duty paid

(See Rule 17)

Book No

SL. No

Name of the Circle

To,

.....(Name)

Complete Address .....

Registration number .....

Subject :- Adjustment/Refund of duty.

Whereas an amount of Rs. ..... remitted by you has been verified by the undersigned and it is found that an whereas an amount of Rs. ..... has been claimed as excess amount, as per the assessment order enclosed.

a. You are hereby informed that the said amount will be adjusted towards the duty to be remitted by you in the future months. You may deduct the said amount while filing your returns for the future months duly enclosing the copy of this order.

b. The said amount of Rs. ..... is being refunded to you vide this office letter No ..... dated ..... duly enclosing the Cheque No..... dated ..... as the final settlement of the Duty from your installation detailed above.

Place

Date

Signature

Name

Designation

Encl: Copy of the assessment order

Form XII

[See sub rule (1) of rule 22]

Purpose for which electricity is consumed

Name of Consumer to whom electricity supplied :
Address .....
.....

RR Number :
Energy Meter : Make, capacity, Class, SI No:
CT : Make, capacity, Class, SI No:
PT: Make, capacity, Class, SI No:
Rate of duty per unit:

SI No.	Month and Year	Energy meter Reading	Consumption	Opening Balance		Demand		Total		Collections		Closing Balance		Remarks with date of disconnection for non payment
				Electricity Charges	Duty	Electricity Charges	Duty	Electricity Charges	Duty	Electricity Charges	Duty	Electricity Charges	Duty	
1	April													
2	May													
3	June													
4	July													
5	August													
6	September													
7	October													
8	November													
9	December													
10	January													
11	February													
12	March													

Form XIII

[See sub rule (2) of rule 22]

Place of Generation :
Name plate details of generator/s installed:
Energy Meter: Make, capacity, Class, SI No.
CT: Make, Capacity, Class, SI No
PT: Make, capacity, Class, SI No
(*) Note

(1) **GENERATION :-**

SI No	Month	Generator 1		Generator 2		Generator 3		Total units generated	Remarks
		Energy meter Reading	Units generated	Energy meter Reading	Units generated	Energy meter Reading	Units generated	Total generated (4+6+8+....)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
3									

Note : Difference between the reading of the last month and current month will be the total generation of that month.

(2) Auxiliary consumption :

Energy Meter : Make, capacity, Class, SI No

CT : Make, capacity, Class, SI No

PT: Make, capacity, Class, SI No

SI No	Month	Generator 1		Generator 2		Generator 3		Total units Consumed	Rate of Duty/Units	Duty payable	Duty paid	Payment details
		Energy meter Reading	Units Consumed	Energy meter Reading	Units Consumed	Energy meter Reading	Units Consumed	Total Consumed (4+6+8+....)	Remarks			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2												
3												

[File No- Bikri-kar /Vividh-35/2018-1652]
By order of the Governor of Bihar,
Dr. Pratima.
Commissioner, State Tax-cum-Secretary.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 559-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in